कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 792/12-1 दिनांक, मसूरी 31, -08-2018।

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय :- **जनपद देहरादून में प्रधाननमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पुरकुल गांव से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग (कुल लम्बाई -10.400 किमी0) के नव निर्माण हेतु 3.528 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु पी0एम0जी0एस0वाई सिंचाई खण्ड को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव। प्रस्ताव सं0-FP/UK/ROAD/20710/2016**

सन्दर्भ :- आपकी ई0डी0एस0 दिनांक 30-8-2018

महोदय,

विषयांकित प्रकरण में नोडल कार्यालय द्वारा इंगित ई0डी0एस0 क्वेरी के तहत् ईको क्लास के पुनरीक्षण किये जाने हेतु प्रकरण आनलाईन प्राप्त हुआ है के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद देहरादून में प्रधाननमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पुरकुल गांव से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग (कुल लम्बाई -10.400 किमी0) के नव निर्माण हेतु 3.528 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है। विषयांकित मोटर मार्ग के प्रस्तावित समरेखण में विभिन्न प्रजाति/व्यासवर्ग के कुल 316 वृक्ष वाधित होने निहित है। प्रस्तावित कार्यस्थल का धनत्व वर्तमान कार्ययोजना के अनुसार 0.2 से 0.4 है। आनलाईन प्रस्ताव के भाग-II में औसत धनत्व 0.3 अंकित किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के F.No.5-3/2011-FC, दिनांक 13 नवम्बर, 2014 "Revision of rates of NPV Applicable for different Class/Category of Forest" में दिये की गाईड लाईन्स के अनुसार तथाकथित स्थल का ईको क्लास के तहत V आंकलित है। इसी सन्दर्भ में नोडल कार्यालय से दूभाष पर वार्ता के अनुसार ईको क्लास V सही होने की सहमति व्यक्त की गयी है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कृपा करें।

भवदीया

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।